रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1996] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26, 1937
No. 1996] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

का.आ. 2544(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है,; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के दो जिले नागपुर और भन्डारा के संगम पर स्थित है जिसके पूर्वी ओर वाइनगंगा नदी स्थित है और उमरेर करहन्डाला अभयारण्य के वन क्षेत्र में ऐतिहासिक, आर्थिक ओषधीय गुण के स्थल हैं और 189.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है;

और जहाँ, वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति एवं जीव प्रजातियों से संपन्न है अर्थात् बाघ, तेंदुआ, लकडबग्घा, जंगली कुत्ता, सियार, लियोपार्ड कैट, जंगली बिल्ली, नील गाय, साम्भर, चितल, बार्किंग डियर, जंगली सुअर, स्लोथ बियर, लंगूर, इत्यादि और यह टीक और वृक्ष की विविध प्रजातियों, जैसे बेहरा, घवादा, लेंडिया, अईन इत्यादि के लिए भी जाना जाता हैय

और, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**–(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के विस्तार तक फैला हुआ है। सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची इसके प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशान्तर मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना**–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) यह महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक है जिसमें तेंदुआ आदि के भांति जानवरों को सिरिस्का व्याघ्र आरक्षित (एस.टी.आर.) और रणथम्बोर व्याघ्र आरक्षित (आर.टी.आर.) से तितर-बितर होने से रोकने के लिए प्रारंभिक प्रयास मुहैया कराया जा सके और अत: आंचलिक महायोजना तैयार करते हुए विशेष रूप से पहाड़ी इलाके में इनके अतिरिक्त सुरक्षा या बहाली के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(5) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(6) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों के सुधार के कारक तथा पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी

प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

(10) महाराष्ट्र राज्य की सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 11, 21, 27, 29 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :–

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **पर्यटन**-(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा क्रमश: राज्य सरकारों के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :–

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथासंशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य की एक किलोमीटर सीमा के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के:

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन तक नए होटलों और रिसार्टों को स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए दी जाएगी।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) **नैसर्गिक विरासत** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(4) **मानव निर्मित विरासत स्थल** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना

के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(5) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(6) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(8) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(9) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(10) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित

होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां**

(क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ आधारित विद्यमान उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ठ आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।

	स्थापना।	
5.	बृहत थर्मल और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों और तटीय क्षेत्र का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
10.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
11.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के । तथापि, एक किलोमीटर के परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरुप किया जाएगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु यह कि स्थानीय निवासियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परंतु यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर आगे और इसके विस्तार तक सदभावी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण

		क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	खाई-स्थल।	कोई नये खाई-स्थल स्थापित नहीं किए जाएंगे। तथापि, पुराने खाई स्थल लागू विधियों के अधीन विनियमित किए जाएंगे।
14.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी। (ग) परियोजना वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत तारों का तापावरोधन।	पारिस्थिति संवेदी जोन से गुजरने वाले विद्यमान विद्युत लाइन के भूमिगत केबल आंचलिक महायोजना के अधीन विहित की गई समय-सीमा में पर्याप्त रूप से तापावरोधन किया जाएगा।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	आंचलिक महायोजना तथा लागू विधियों अनुसार वाणिज्यिक यान विनियमित होंगे।
25.	कृषि प्रणालियों या भूमि उपयोग पैटर्न में प्रबल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी

		से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
27.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप:		
28.	डेयरी, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
30.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
31.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **मानीटरी समिति**—(1) केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कलेक्टर, नागपुर - अध्यक्ष;

(ख) कलेक्टर, भंडारा का प्रतिनिधि - सदस्य;

(ग) जिला परिषद्, नागपुर का प्रतिनिधि - सदस्य;

(घ) जिला परिषद् भंडारा का प्रतिनिधि - सदस्य;

(ङ) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य; (च) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;

(छ) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागपुर - सदस्य;

(ज) पेंच व्याघ्र परियोजना, नागपुर के मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्रीय निदेश का प्रतिनिधि - सदस्य;

(झ) नागपुर क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य;

(ञ) महाराष्ट्र राज्य के वन और पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य;

(ट) उप वन संरक्षक, नागपुर – सदस्य-सचिव।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/44/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के प्रस्तावित संरक्षिक क्षेत्र के आस-पास स्थित उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र जिले के नागपुर और भान्दरा के बीचों बीच स्थित है, उत्तर में 22°50′ से 21°37′ उत्तरी अक्षांश और पूर्व में 79° 00′ 25″ से 79° 26′ 10″ पूर्वी देशांतर तक है जिसका विवरण निम्नवत है :—

उत्तर पोलसा, उदेशवर, पचखेडी, परदी, वाग, मनधाल, बोरी सदाचार, परसोदी (राजा), पनधरगोटा, बनहानी, नन्दीखेड़ा, सलेभट्टी (दी), गादेघाट, घाटउमरी

पूर्व वेनगंगा नदी, बेलघाट गांव (पाउनी), वाही, रिसर्व, सिनगोरी, वेलवा, सेलरी, कोदुरली, रेवारी, चांदी

दक्षिण भुयारी, खापरी, पंजरेपर, निलज (आमगांव), मरुपर नदी, मोखाबरदी, सोमनाला, अदयाल, नगतारोली, जमभुरदा, भिवापुर, जवाराबोदी, विरखान्दी, पेनधारी, कारगांव, पेनधराबोदी

पश्चिम पनजरेपर, खेडी, तिरखुरी, देनी

उपाबंध-II

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य के ग्रामों के ब्यौरे तथा इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशांतर

(ii) जिला नागपुर के गांवों की सूची (पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में पड़ने वाले)						
क्र. सं.	जिला	तहसील	गांवो के नाम	गांव या रिठी	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6	7
1	नागपुर	भिवापुर	पुल्लेर	गांव	उ-79 ^{0} 30′ 27.706″	पू -20 ^{0} 51′ 25.850″
2		भिवापुर	भावरी	गांव	उ -79 ^{0} 30′ 15.596″	पू -20 ^{0} 50′ 14.996″
3		भिवापुर	सोमनाला	गांव	उ -79 ^{0} 31′ 10.662″	पू -20 ^{0} 49′ 44.635″

4		भिवापुर	कोलारी	गांव	उ -79 ° 30′ 56.499″	पू -20 ° 48′ 46.909″
5		भिवापुर	पिम्पलगांव	रिठी	उ -79 ° 29′ 51.497″	पू -20 ° 48′ 26.751″
6		भिवापुर	दोंगरगांव	गांव	उ -79 ° 30′ 50.655″	पू -20 ° 47′ 30.777″
7		भिवापुर	महसागोंगरी	रिठी	उ -79 ° 30′ 06.766″	पू -20 ° 47′ 59.135″
8		भिवापुर	तास	गांव	उ -79 ° 29′ 11.481″	पू -20 ° 47′ 18.593″
9		भिवापुर	पावरगोंदी	रिठी	उ -79 ° 29′ 01.891″	पू -20 ° 48′ 16.389″
10		भिवापुर	रनमंगली	गांव	उ -79 ° 27′ 41.655″	पू -20 ° 48′ 34.991″
11		भिवापुर	नवेगांव देश	गांव	उ -79 ° 26′ 14.984″	पू -20 ° 48′ 03.052″
12		भिवापुर	वेल्वा	गांव	उ -79 ° 24′ 49.801″	पू -20 ° 48′ 01.293″
13		भिवापुर	मनोरा	रिठी	उ -79 ° 24′ 05.780″	पू -20 ° 47′ 47.612″
14		भिवापुर	मरुपार	गांव	उ -79 ° 32′ 38.537″	पू -20 ° 52′ 27.819″
15		भिवापुर	सलेभटी	गांव	उ -79 ° 33′ 30.225″	पू -20 ° 52′ 26.996″
16		भिवापुर	किताटी-गोधाटी	रिठी	उ -79 ° 31′ 45.257″	पू-20 ° 51′ 32.844″
17		भिवापुर	सलेशाहारी	गांव	उ -79 ° 33′ 00.665″	पू -20 ° 51′ 26.042″
18		भिवापुर	तुकुमबोई	रिठी	उ -79 ° 34′ 51.625″	पू -20 ° 51′ 02.043″
19		भिवापुर	घटुमरी	गांव	उ -79 ° 36′ 05.205″	पू -20 ° 52′ 04.152″
20	नागपुर	उमरेर	थाना	गांव	उ -79 ° 23′ 12.236″	पू -20 ° 49′ 11.763″
21		उमरेर	नवेगांव	गांव	उ -79 ° 22′ 29.748″	पू -20 ° 49′ 54.528″
22		उमरेर	कराहनडाला	गांव	उ -79 ° 23′ 41.844″	पू -20 ° 50′ 59.356″
23		उमरेर	वनोदा	गांव	उ -79 ° 23′ 44.825″	पू -20 ° 52′ 10.904″
24		उमरेर	पाओनी	गांव	उ -79 ° 22′ 26.643″	पू -20 ° 52′ 30.774″

3962 GI/15-4

25		कुही	पोलसा	गांव	उ -79 ° 22′ 51.230″	पू -20 ° 53′ 25.862″
26		कुही	तारना	गांव	उ -79 ° 24′ 34.015″	पू -20 ° 53′ 59.761″
27		कुही	वीरखाण्डी	गांव	उ -79 ° 26′ 16.156″	पू -20 ° 54′ 48.085″
28		कुही	हरदोली	गांव	उ -79 ° 27′ 39.346″	पू -20 ° 55′ 02.965″
29		कुही	दोंगरमोउदा	गांव	उ -79 ° 29′ 00.401″	पू -20 ° 55′ 04.054″
30		कुही	चिकना	गांव	उ -79 ° 27′ 35.637″	पू -20 ° 53′ 52.078″
31		कुही	केसोरी बूटी	गांव	उ -79 ° 28′ 00.679″	पू -20 ° 53′ 17.218″
32		कुही	धामना	गांव	उ -79 ° 28′ 40.436″	पू -20 ° 52′ 57.414″
33		कुही	थाना	गांव	उ -79 ° 29′ 26.702″	पू -20 ° 53′ 47.174″
34		कुही	वेलगांव	गांव	उ -79 ° 30′ 10.108″	पू -20 ° 54′ 14.619″
35		कुही	दहेगांव	गांव	उ -79 ° 30′ 29.861″	पू -20 ° 55′ 11.015″
36		कुही	रेनगातुर	गांव	उ -79 ° 31′ 25.752″	पू -20 ° 55′ 08.877″
37		कुही	करानडला	गांव	उ -79 ° 32′ 28.013″	पू -20 ° 55′ 29.689″
38		कुही	रजोली	गांव	उ -79 ° 33′ 48.150″	पू -20 ° 54′ 31.006″
39		कुही	गोथानगांव	गांव	उ -79 ° 32′ 59.083″	पू -20 ° 53′ 47.184″

(iii) जिला भानदरा के गांवो की सूची (पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में पड़ने वाले)

क्र. सं.	जिला	तहसील	गांवों के नाम	गांव या रिठी	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6	7
1	भानदरा	पाओनी	मुजबी	रिठी	उ -79 ° 36′ 13.114″	पू -20 ° 51′ 43.923″
2		पाओनी	थाना (कोराम्बी)	गांव	उ -79 ° 36′ 50.256″	पू -20 ° 51′ 18.049″

3		पाओनी	कोराम्बी (खापरी)	गांव	उ -79 ^{0} 37′ 04.166″	पू -20 ^{0} 50′ 29.867″
4		पाओनी	खाकसी	गांव	उ -79 ^{0} 37′ 11.986″	पू -20 ^{0} 49′ 45.710″
5		पाओनी	नागनगांव	रिठी	उ -79 ^{0} 37′ 00.888″	पू -20 ^{0} 48′ 55.288″
6		पाओनी	कोसोमबोदी	गांव	उ -79 ^{0} 36′ 16.214″	पू -20 ^{0} 47′ 44.872″
7		पाओनी	**छिछागांव**	गांव	उ -79 ^{0} 35′ 39.037″	पू -20 ^{0} 47′ 50.107″
8		पाओनी	**नईगांव**	गांव	उ -79 ^{0} 35′ 46.886″	पू -20 ^{0} 47′ 16.843″
9		पाओनी	**नीमगांव (अवलगांव)**	गांव	उ -79 0 35′ 30.991″	पू -20 ^{0} 46′ 56.811″
10		पाओनी	**राजकोटा**	गांव	उ -79 ^{0} 35′ 20.552″	पू -20 ^{0} 46′ 22.437″
11		पाओनी	**निश्ती**	गांव	उ -79 ^{0} 34′ 31.613″	पू -20 ^{0} 45′ 01.130″
12		पाओनी	**सलेभट्टी**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 48.364″	पू -20 ^{0} 45′ 12.102″
13		पाओनी	**कोतनपार**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 28.237″	पू -20 ^{0} 45′ 05.259″
14		पाओनी	**रनला**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 56.921″	पू -20 ^{0} 47′ 03.771″
15		पाओनी	**पाहुनगांव**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 25.683″	पू -20 ^{0} 47′ 05.331″
16		पाओनी	**चिचखेडा**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 36.864″	पू -20 ^{0} 47′ 44.321″
17		पाओनी	**धामनगांव**	गांव	उ -79 ^{0} 34′ 09.524″	पू -20 ^{0} 47′ 14.591″
18		पाओनी	**अवलगांव**	गांव	उ -79 ^{0} 34′ 31.748″	पू -20 ^{0} 47′ 24.440″
19		पाओनी	**मुरमादी**	रिठी	उ -79 ^{0} 34′ 25.962″	पू -20 ^{0} 47′ 50.824″
20	आनदरा	पाओनी	**कवदसी**	गांव	उ -79 ^{0} 34′ 15.502″	पू -20 ^{0} 48′ 18.315″
21		पाओनी	**गाईदोंगरी**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 57.464″	पू -20 ^{0} 48′ 55.711″
22		पाओनी	**महलगांव (परसोदी)**	गांव	उ -79 ^{0} 33′ 24.794″	पू -20 ^{0} 49′ 23.242″

23		पाओनी	**खापरी**	गांव	उ -79 ° 33′ 58.193″	पू -20 ° 50′ 04.938″
24		पाओनी	**परसोदी (गाईदोंगरी)**	गांव	उ -79 ° 33′ 23.192″	पू -20 ° 50′ 37.968″
25		पाओनी	**सिलसला**	गांव	उ -79 ° 38′ 51.177″	पू -20 ° 43′ 40.272″

उपाबंध-III

उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र जिसमें सीमा के ब्यौरे दर्शित किए गए हैं

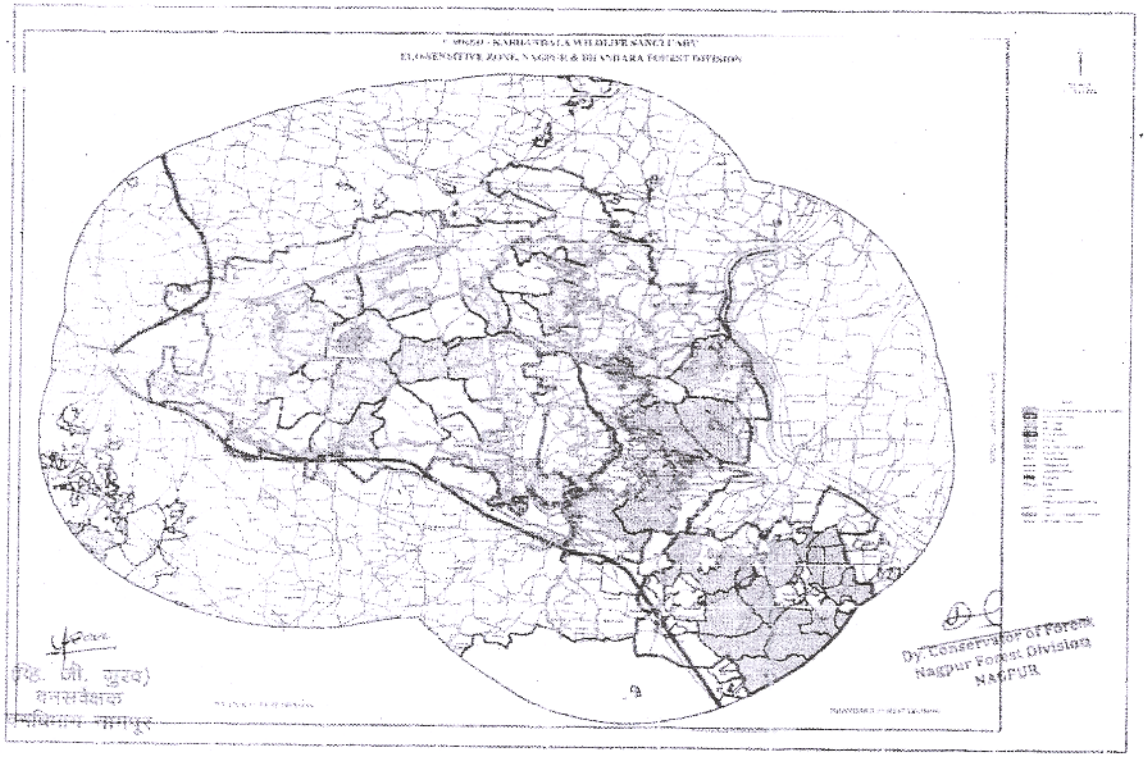

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति – की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

S.O. 2544(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Umrer-Karhandala Wildlife Sanctuary is located on the junction of the two Districts, Nagpur and Bhandara of Maharashtra with Wainganga river on eastern side and forest area in the Umrer-Karhandala Sanctuary is having historical, economic and medicinal values and spread over an area of 189.29 square kilometers;

And whereas, the sanctuary is rich in flora and fauna i.e. tiger, leopard, hyena, wild dog, jackal, fox, leopard cat, jungle cat, nil gai, sambhar, chital, barking deer, wild pig, sloth bear, langurs, etc and is also known for teak and other tree species various varieties viz, bhera, dhawada, lendia, ain, etc;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area,extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Umrer KarhandalaWildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.2 kilometers to 10 kilometers around the boundary of Umrer KarhandalaWildlife Sanctuary in the State of Maharashtras the Umrer Karhandala Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-Sensitive Zone shall be varying from 0.2 km to 10 kmsaround the boundary of Umrer Karhandala Wildlife Sanctuary. Details of boundary are appended as **Annexure-I.**

(2) The list ofthevillages falling within the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.-

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) This is one of the important protected areas which may provide stepping stone for animals dispersing from Sariska Tiger Reserve (STR) and Ranthambore Tiger Reserve (RTR) like leopard, etc and therefor while preparing the Zonal Master Plan attempt should be made to identify areas specially of hilly region for their additional protection and restoration.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation withall concerned State Departments, namely:—

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Maharashtra State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restrictions on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The State Government of Maharashtra shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 21, 27, 29 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:—

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Tourism.-** (a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with Department of Forests and Environment of the respective State Governments.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Umrer Karhandala Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(3) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(4) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(6) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(8) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(9) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(10) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(11) **Industrial units**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
9.	Protection of hill slopes and river banks and coastal areas.	Regulated under applicable laws.
10.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
12.	Construction activities.	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small-scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
13.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
14.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.

3962917 15-6

16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Project Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electrical cables	Promote underground cabling.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
23.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial vehicles as per the Zonal Master Plan and the applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
26.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.—(1)** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Maharashtra, which shall comprise of the following namely:—

(a)	Collector, Nagpur District	-Chairman
(b)	Representative of Collector, Bhandara District	-Member
(c)	A representative of Zilla Parishad, Nagpur District	-Member
(d)	A representative of Zilla Parishad, BhandaraDistrict	-Member
(e)	One representative of non-Governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the State Government for the period of one year in each case.	-Member
(f)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a period of one year in each case.	-Member
(g)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Nagpur District.	-Member
(h)	A representative of Chief Conservator and Field Director, Pench Tiger Project, Nagpur District.	-Member
(i)	Senior Town Planner of the area, Nagpur District.	-Member
(j)	A representative of the Department of Forests and Environment, Government of Maharashtra	-Member
(k)	Deputy Conservator of Forests, Nagpur District.	-Member-Secretary.

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/44/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE -I

DESCRIPTION OF BOUNDARIES OF PROPOSED ESZ

The proposed Eco-sensitive Zone around the protected area of the Umrer-Karhandala Wildlife Sanctuary situated in the Nagpur and Bhandara Districts of Maharashtra between North 22° 50′ to 21° 37′ latitude and between East 79° 00′ 25″ to 79° 26′ 10″ longitude. Details are as follows:—

North: Polsa, Udeshwar, Pachkhedi, Pardi, Wag, Mandhal, Bori Sadachar, Parsodi (Raja), Pandhargota, Bamhani, Nandikheda, Salebhatti (de), Gadeghat, Ghataumri

East : Wainganga River, Village Belghat (Pauni), Wahi, Reserve, Singori, Welwa, Selari, Kodurli, Rewari, Chandi

South: Bhuyari, Khapri, Panjrepar, Nilaj (Amgaon), Marupar River, Mokhabardi, Somnala, Adyal, Nagtaroli, Jambhurada, Bhiwapur, Jawarabodi, Virkhandi, Pendhari, Kargaon, Pendharabodi

West : Panjrepar, Khedi, Tirkhuri, Deni

Annexure- II

Details of the villages in Umrer Karhandala Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone alongwith the Latitude and Longitude

ii) List of villages in Nagpur District (falling in Eco-sensitive Zone area):—						
Sl. No.	District	Tahsil	Name of village	Village or Rithi	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6	7
1	Nagpur	Bhiwapur	Puller	Village	N-79 ° 30′ 27.706″	E-20 ° 51′ 25.850″
2		Bhiwapur	Bhawari	Village	N-79 ° 30′ 15.596″	E-20 ° 50′ 14.996″
3		Bhiwapur	Somnala	Village	N-79 ° 31′ 10.662″	E-20 ° 49′ 44.635″
4		Bhiwapur	Kolari	Village	N 79 ° 30′ 56.499″	E-20 ° 48′46.909″

5		Bhiwapur	Pimpalgaon	Rithi	N-79 ° 29' 51.497"	E-20 ° 48'26.751"
6		Bhiwapur	Dongargaon	Village	N-79 ° 30' 50.655"	E-20 ° 47' 30.777"
7		Bhiwapur	Mahsagongri	Rithi	N-79 ° 30' 06.766"	E-20 ° 47' 59.135"
8		Bhiwapur	Tas	Village	N-79 ° 29' 11.481"	E-20 ° 47' 18.593"
9		Bhiwapur	Pawargondi	Rithi	N-79 ° 29' 01.891"	E-20 ° 48' 16.389"
10		Bhiwapur	Ranmangli	Village	N-79 ° 27' 41.655"	E-20 ° 48' 34.991"
11		Bhiwapur	Nawegaon Desh.	Village	N-79 ° 26' 14.984"	E-20 ° 48' 03.052"
12		Bhiwapur	Welva	Village	N-79 ° 24' 49.801"	E-20 ° 48' 01.293"
13		Bhiwapur	Manora	Rithi	N-79 ° 24' 05.780"	E-20 ° 47' 47.612"
14		Bhiwapur	Marupar	Village	N-79 ° 32' 38.537"	E-20 ° 52' 27.819"
15		Bhiwapur	Salebhati	Village	N-79 ° 33' 30.225"	E-20 ° 52' 26.996"
16		Bhiwapur	Kitadi- Godhadi	Rithi	N-79 ° 31' 45.257"	E-20 ° 51' 32.844"
17		Bhiwapur	Saieshahari	Village	N-79 ° 33' 00.665"	E-20 ° 51' 26.042"
18		Bhiwapur	Tukumboei	Rithi	N-79 ° 34' 51.625"	E-20 ° 51' 02.043"
19		Bhiwapur	Ghatumri	Village	N-79 ° 36' 05.205"	E-20 ° 52' 04.152"
20	**Nagpur**	Umrer	Thana	Village	N-79 ° 23' 12.236"	E-20 ° 49' 11.763"
21		Umrer	Navegaon	Village	N-79 ° 22' 29.748"	E-20 ° 49' 54.528"
22		Umrer	Karahandala	Village	N-79 ° 23' 41.844"	E-20 ° 50' 59.356"
23		Umrer	Wanoda	Village	N-79 ° 23' 44.825"	E-20 ° 52' 10.904"
24		Umrer	Paoni	Village	N-79 ° 22' 26.643"	E-20 ° 52' 30.774"
25		Kuhi	Polsa	Village	N-79 ° 22' 51.230"	E-20 ° 53' 25.862"
26		Kuhi	Tarana	Village	N-79 ° 24' 34.015"	E-20 ° 53' 59.761"
27		Kuhi	Virkhandi	Village	N-79 ° 26' 16.156"	E-20 ° 54' 48.085"
28		Kuhi	Hardoli	Village	N-79 ° 27' 39.346"	E-20 ° 55' 02.965"
29		Kuhi	Dongarmouda	Village	N-79 ° 29' 00.401"	E-20 ° 55' 04.054"
30		Kuhi	Chikana	Village	N-79 ° 27' 35.637"	E-20 ° 53' 52.078"
31		Kuhi	Kesori Buti	Village	N-79 ° 28' 00.679"	E-20 ° 53' 17.218"
32		Kuhi	Dhamnaa	Village	N-79 ° 28' 40.436"	E-20 ° 52' 57.414"
33		Kuhi	Thana	Village	N-79 ° 29' 26.702"	E-20 ° 53' 47.174"
34		Kuhi	Velgaon	Village	N-79 ° 30' 10.108"	E-20 ° 54' 14.619"
35		Kuhi	Dahegaon	Village	N-79 ° 30' 29.861"	E-20 ° 55' 11.015"
36		Kuhi	Rengatur	Village	N-79 ° 31' 25.752"	E-20 ° 55' 08.877"
37		Kuhi	Karandla	Village	N-79 ° 32' 28.013"	E-20 ° 55' 29.689"
38		Kuhi	Rajoli	Village	N-79 ° 33' 48.150"	E-20 ° 54' 31.006"
39		Kuhi	Gothangaon	Village	N-79 ° 32' 59.083"	E-20 ° 53' 47.184"

3962 GI/15-7

iii) List of Villages in Bhandara District (falling in eco sensitive zone area) :—

Sl. No	District	Tahsil	Name of Village	Village or Rithi	Latitude	Longitude
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhandara	Paoni	Mujbi	Rithi	N-79 ° 36′ 13.114″	E-20 ° 51′ 43.923″
2		Paoni	Thana (Korambi)	Village	N-79 ° 36′ 50.256″	E-20 ° 51′ 18.049″
3		Paoni	Korambi (Khapri)	Village	N-79 ° 37′ 04.166″	E-20 ° 50′ 29.867″
4		Paoni	Khakasi	Village	N-79 ° 37′ 11.986″	E-20 ° 49′ 45.710″
5		Paoni	Nagangaon	Rithi	N-79 ° 37′ 00.888″	E-20 ° 48′ 55.288″
6		Paoni	Kosombodi	Village	N-79 ° 36′ 16.214″	E-20 ° 47′ 44.872″
7		Paoni	Chichagaon	Rithi	N-79 ° 35′ 39.037″	E-20 ° 47′ 50.107″
8		Paoni	Naigaon	Village	N-79 ° 35′ 46.886″	E-20 ° 47′ 16.843″
9		Paoni	Nimgaon (Avalgaon)	Village	N-79 0 35′ 30.991″	E-20 ° 46′ 56.811″
10		Paoni	Rajkota	Village	N-79 ° 35′ 20.552″	E-20 ° 46′ 22.437″
11		Paoni	Nisti	Village	N-79 ° 34′ 31.613″	E-20 ° 45′ 01.130″
12		Paoni	Salebhtti	Village	N-79 ° 33′ 48.364″	E-20 ° 45′ 12.102″
13		Paoni	Kotanpar	Village	N-79 ° 33′ 28.237″	E-20 ° 45′ 05.259″
14		Paoni	Ranala	Village	N-79 ° 33′ 56.921″	E-20 ° 47′ 03.771″
15		Paoni	Pahungaon	Village	N-79 ° 33′ 25.683″	E-20 ° 47′ 05.331″
16		Paoni	Chichkheda	Village	N-79 ° 33′ 36.864″	E-20 ° 47′ 44.321″
17		Paoni	Dhamangaon	Village	N-79 ° 34′ 09.524″	E-20 ° 47′ 14.591″
18		Paoni	Avalgaon	Village	N-79 ° 34′ 31.748″	E-20 ° 47′ 24.440″
19		Paoni	Murmadi	Rithi	N-79 ° 34′ 25.962″	E-20 ° 47′ 50.824″
20	Bhandara	Paoni	Kawadsi	Village	N-79 ° 34′ 15.502″	E-20 ° 48′ 18.315″
21		Paoni	Gaidongri	Village	N-79 ° 33′ 57.464″	E-20 ° 48′ 55.711″
22		Paoni	Mahalgaon (Parsodi)	Village	N-79 ° 33′ 24.794″	E-20 ° 49′ 23.242″
23		Paoni	Khapri	Village	N-79 ° 33′ 58.193″	E-20 ° 50′ 04.938″
24		Paoni	Parsodi (Gaidongri)	Village	N-79 ° 33′ 23.192″	E-20 ° 50′ 37.968″
25		Paoni	Silsala	Village	N-79 ° 38′ 51.177″	E-20 ° 43′ 40.272″

Annexure -III

Map of Umrer Karhandala Wildlife Eco-sensitive Zone showing boundary details

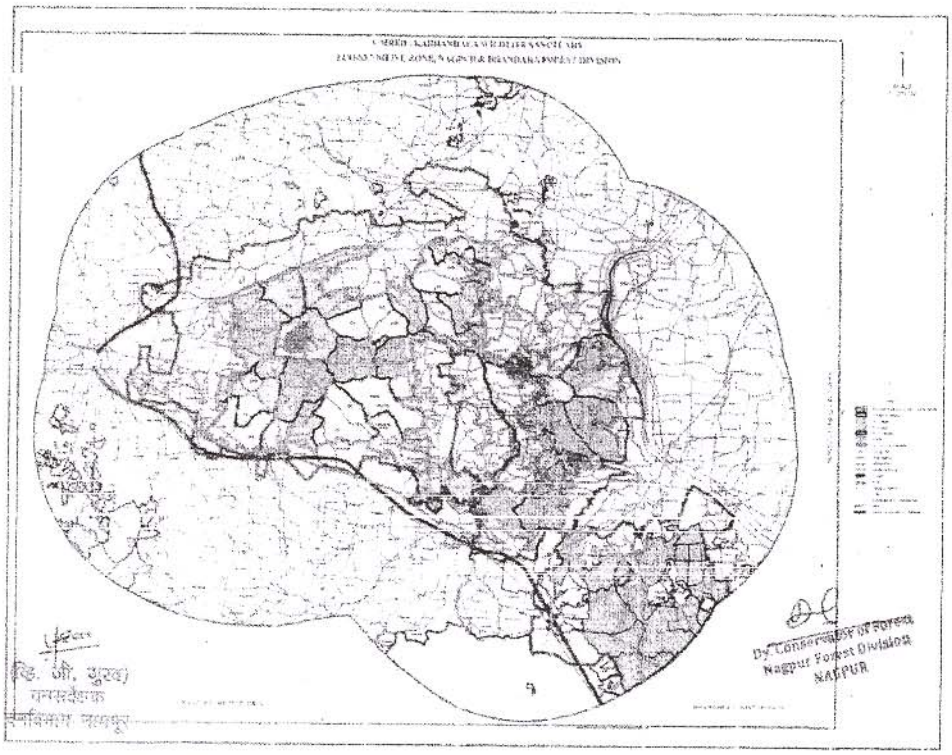

Annexure -IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.